संख्या 8 /2022/2593 ई-2/तेरह-2021-1496326

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

विषय- शीरे पर विनियामक शुल्क (Regulatory fee) निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-80/दस-185/शीरा नीति/2021-22 दिनांक 30-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 30-12-2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त, शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 की धारा-8(4) में संशोधन के क्रम में निम्नवत कार्यवाही किये जाने की अनुमति एतद्दवारा प्रदान की जाती है:-

(1) चूंकि अधिसूचना दिनांक 24.12.2021 में विनियामक शुल्क (Regulatory fee) चीनी कारखाने से लिये जाने का प्राविधान किया गया है, इसलिए चीनी कारखानों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे पर एक ही विनियामक शुल्क लिया जाना उचित होगा, जो समान रूप से सभी प्रकार के शीरे के सम्भरण (गृह खपत, निर्यात/आयात, इत्यादि) पर लागू किया जाता है। अतः विनियामक शुल्क (Regulatory fee) की दर रू.20/- प्रति कुन्टल (पूर्व प्रभावी शीरा नीति के प्रस्तर-5.4 में उल्लिखित प्रदेश के अन्दर खपत किये जाने वाले शीरे के लिए निर्धारित दर रू.20/- प्रति कुं. की भॉति) अधिसूचना दिनांक 24.12.2021, से सभी प्रकार के सम्भरित किये जाने वाले शीरे (यथा गृह खपत, अन्य प्रदेशों/राष्ट्रों को निर्यात किये जाने तथा अन्य प्रदेशों/राष्ट्रों से आयात किये जाने) पर समानरूप से लागू की जाती है।

(2) शीरा वर्ष 2021-22 की शीरा नीति विषयक शासनादेशसंख्या-72/2021/2018 ई-2/तेरह 2021-01/2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर-5.4 में विहित व्यवस्था, जो शीरे पर लिये जाने वाले प्रशासनिक शुल्क की दरों से सम्बन्धित है, को समाप्त हुए करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शीरा नीति 2021-22 के प्रस्तर-5.4 में उल्लिखित व्यवस्था	अधिसूचना संख्या-1093/79-वि-1-21-1-क-38-21 दिनांक 24.12.2021 में

Scanned with CamScanner

	प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार
शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर गत वर्ष 2020-21 की भांति शीरा वर्ष 2021-22 में प्रदेश के अन्दरखपत के लिए रू.20/- प्रति कुंन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू.30/- प्रति कुन्टल रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू. 15/- प्रति कुन्टल रखने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/ निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू. 30/- प्रति कुन्टल यथावत् रखी गयी है।	चीनी मिल अपने द्वारा विक्रय, अन्तरण या आपूर्ति किये जाने वाले समस्त प्रकार के शीरे पर रू.20/- प्रति कुं. की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगी तथा प्रदेश में आयात किये जाने वाले शीरे पर आयातक उपरोक्त दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगा।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार शीरे पर लिये जाने वाले विनियामक शुल्क की दर दिनांक 24.12.2021 से निर्धारित करते हुए अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by उमेश कुमार तिवारी
Date: 07-01-2022 16:39:05
Reason: Approved

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner